

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वनवृत्त, अम्बिकापुर, (छ0ग0)

Ph.No. :- (O) 07774- 240544, (R) 240019, (F) 240682 E-Mail :- cfsurguja@rediffmail.com

क्र0/मा0चि0/न. क्र.-09/2017/ 48
प्रति,

अम्बिकापुर, दिनांक 11/05/17

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू-प्रबंध)
छत्तीसगढ़ रायपुर

विषय :- Diversion of Forest land for non – forest purpose under forest conservation ACT, 1980 coming under Extension of aagdi Air strip jashpur Area 4.365 ha.
— Regt. No. FP/CG/others/8204/2014

संदर्भ :- (1) आपका पत्र क्रमांक/भू- प्रबंध/विविध/115-124/1045 दिनांक 03.05.2016
(2) वनमण्डलाधिकारी जशपुर वनमण्डल का पत्र पृ0 क्रमांक/मा0चि0/2016/659 दिनांक 18.05.2016

विषयाकित वनभूमि व्यपवर्तन प्रकरण में आपके संदर्भित पत्र-01 द्वारा वांछित 07 बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी, जो वनमण्डलाधिकारी जशपुर वनमण्डल के संदर्भित पत्र-02 द्वारा आपकी ओर प्रेषित है, की छायाप्रति संलग्न कर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

संलग्न :- संदर्भित पत्र-02

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर

पृ0क्र0/मा0चि0/न.क्र.-09/2017/ 49
प्रतिलिपि :-

अम्बिकापुर, दिनांक 11/05/17

- (1) वनमण्डलाधिकारी जशपुर वनमण्डल जशपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- (2) कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग जशपुर जिला-जशपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य वन संरक्षक
सरगुजा वनवृत्त अम्बिकापुर

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी जशपुर वनमण्डल जशपुर(छ0ग0)

दूरभाष क्र० : (07763) 223225 (घ), (07763) 220998, निवास (07763) 223224, (07763) 203051

E-mail Address - dfojsp@gmail.com

क्र०/मा०चि०/2016/ 658
प्रति,

जशपुर, दिनांक/ 18/05/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध/ वं.सं.अ.)
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- Diversion of Forest Land for non-Forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Coming under
Extension of Aagdi Air Strip Jashpur Area 4.365 Ha. पंजीयन क्रमांक/FP/CG/Others/8204/2014
सन्दर्भ:- आपका ज्ञापन क्रमांक भू-प्रबंध/विधि/115-124/1044 रायपुर दिनांक 03.05.2016

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रतिवेदन है कि आपके सन्दर्भित ज्ञापन द्वारा 07 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है। अतः चाही गई वांछित जानकारी बिन्दुवार तैयार कर निम्नानुसार अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित है।

क्र	चाही गई जानकारी	जानकारी
1	Part-II of the proposal mention that the Forest area proposed for diversion is sensitive to erosion Howere no specific scheme for conservation measures to be implemented in the area has been provided Therefore details of soil conservation measures if any proposed in the area proposed for diversion may be submitted by the state government.	प्रस्तावित राजस्व वन भूमि किसी संवेदनशील क्षेत्र अन्तर्गत नहीं है और किसी भी प्रकार की संरक्षित योजना लागू नहीं है भूमि उर्वरता एवं पुनरुत्पादन क्षमता सामान्य है, जिसका उल्लेख स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन में किया गया है।
2	List of animals and birds found in around the area has been submitted along with the proposal.	प्रस्तावित राजस्व वन भूमि एवं उसके आस पास क्षेत्र में किसी भी वन्य प्राणी एवं पक्षियों को नहीं पाया गया है।
3	Details of Forest or non-forest land area involved in the construction of bye pass approach road have not been provided in the proposal.	प्रस्तावित प्रस्ताव में किसी भी प्रकार के बाय पास पहुँच मार्ग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हवाई पट्टी के मुख्य द्वारा तक पहुँच मार्ग पूर्व में ही निर्मित है।
4	One of the components ,as per the detail indicated in the propodal, project , includes excavation of forest (Pg 18/10/c the proposal for which no further details has been provided . the underlying details of the said project component may be provided by the state Government .	प्रस्तावित प्रस्ताव में सिर्फ हवाई पट्टी के लम्बाई का 300 मीटर विस्तारीकरण किया जाना है उक्त लम्बाई को समतल करने हेतु मिट्टी/मुरुम का भराव कर पक्की हवाई पट्टी बनाया जाएगा।
5	Detail of approval under the Forest (conservation) Act,1980 & status of compliance there of , if any obtained for the Aagdi air strip in the past , has not been mentioned by the State Government .	आगडीह हवाई पट्टी विस्तारीकरण कार्य हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत किसी भी प्रकार का प्रस्ताव पूर्व में शासन को नहीं भेजा गया है।

6	As per the details indicated in the part -II , the area proposed for diversion forms the part of elephant corridor used by the elephants for their movements. Comments of the PCCF (Wildlife)-cum-chife Wildlife waeden on the same may be submitted to take Further view on the proposal .	प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस पास हाथियों का आवागमन नहीं है और ना ही उक्त क्षेत्र Elephant Corridor हेतु प्रस्तावित है इस संबंध में संदर्भित पत्र अनुसार मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) के अभिमत की मांग की गई है।
7	Copies of record of meetings of Forest Right Committee and Sub- Divisional Level Committee may also be submitted alongh with the compliance of Scheduled Tribes And Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act. 2006.	वन मान्यता अधिनियम 2006 अन्तर्गत ग्राम समा कार्यवाही विवरण प्रदर्श "ब" एवं जिला कलेक्टर जशपुर द्वारा प्रदान अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदर्श "स" प्रस्ताव में चेक लिस्ट क्रमांक 34 में संलग्न है पुनः आपके निर्देशानुसार सत्यापित प्रति अग्रिम कार्यवाही के लिये संलग्न है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

पृ0क्र0/मा0चि0/2016/ 659
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक, सरगुजा वृत्त अम्बिकापुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
2. जिला कलेक्टर जशपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
3. कार्यपालन अभियंता, (भ/स) लोक निर्माण विभाग जशपुर जिला-जशपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी

जशपुर वनमण्डल जशपुर

जशपुर, दिनांक 18/05/2016

वनमण्डलाधिकारी

जशपुर वनमण्डल जशपुर